



उग्रवाद एवं आतंकवाद का दार्शनिक अध्ययन एवं प्रभावकारी समाधान

Juin Banerjee¹ and Dr. Reeta kr. Sharma²

¹Research Scholar , Jharkhand Rai University.

²HOD Department of Philosophy, S.S.L.N.T.M.M. Dhanbad.

सारांश :-

स्वाधीनता मिल गई, देश आजाद है, मन मर गया है, रुह गुलाम है। अंतर बस इतना है कि पहले हम विदेशियों के गुलाम थे और आज - “उग्रवाद एवं आतंकवाद के”।

उग्रवाद एवं आतंकवाद सुनने में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। दोनों में अंतर पहचानना कठिन है।

उग्रवाद का शाब्दिक अर्थ चरमवाद या जातिवाद है। उग्रवाद एवं आतंकवाद में मूलभूत अंतर यह है कि उग्रवादी को स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त होता है, जबकि एक आतंकवादी के लिए यह आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त उग्रवादी उस देश का नागरिक होता है तो अपने देश के सर्वेधानिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह करता है और गुरिल्ला युद्ध के द्वारा सरकार को हटाने का प्रयास करता है। जबकि आतंकवादी इस देश का जहाँ वह क्रियाशील है, जबकि हो भी सकता है या नहीं भी।

वास्तव में आतंकवाद, विद्रोह, गृहयुद्ध, क्रान्ति, गुरिल्ला युद्ध अभिजास (भयभीत करना) और उग्रवाद ऐसे शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किये जाते हैं। (उग्रवाद एवं आतंकवाद दोनों ही एक प्रकार का हिंसक व्यवहार हैं, जिसमें मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं किया जाता)।



परिचय :-

आतंकवाद शब्द का वास्तविक अर्थ होता है - ‘ऐसा Theory जो भय पर आधारित हो या ऐसा Theory जो भय के माध्यम से अपने लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति करने में विश्वास करता है, आतंकवाद कहलाता है।’

आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आतंक विरोधी विधेयक में आतंकवाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - “सरकार या लोगों को आतंकित करने के विभिन्न वर्गों में वैमनस्य बढ़ाने एवं शान्ति भंग करने के उद्देश्य से बम विस्फोट करने, सम्पत्ति नष्ट करने, रसायनिक अस्त्र प्रयोग करने तथा आवश्यक सेवाओं में गडबड़ी करने के उद्देश्य से जो भी कार्य किया जाता है, उन्हें आतंकवादी कार्य माना जाता है।”

Encyclopaedia of Social Sciences में आतंकवाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - “आतंकवाद वह पद है, जिसका प्रयोग विधि के पीछे Theory की व्याख्या के लिए किया जाता है और जिससे एक संगठित समूह अपने स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति मुख्य रूप से व्यवस्थित हिंसा के प्रयोग द्वारा करता है।”

ओम प्रकाश गावा ने लिखा है कि- “राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लेने की प्रवृत्ति या Theory इस शब्द का प्रयोग प्रायः स्थापित व्यवस्था के समर्थक अपने विरोधियों की आतंक पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए करते हैं, परन्तु अपनी गतिविधियों को कोई आतंकवाद का नाम नहीं। आतंक फैलाने वाले लोग अपने आप को राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी या अपने दल या समूह के निष्ठावान सैनिक कहते हैं।”

“The Study of Terrorism” में ब्रायन एम० जोन्किस लिखते हैं कि- आतंकवादी क्रियाओं में बहुधा विशिष्ट मांगों के साथ हिंसा या हिंसा की धमकी समाविष्ट होती है। हिंसा की शिकार सामान्य जनता होती है। हिंसकों का लक्ष्य राजनीतिक होता है। आतंकवादी एक संगठित समूह के सदस्य होते हैं और वे अन्य अपराधियों की अपेक्षा अपने कार्य के लिए प्रसिद्धि का दावा भी करते हैं। अंत में आतंकवादी क्रियाओं का लक्ष्य तत्काल भौतिक वस्तुओं के विनाश की अपेक्षा प्रभाव उत्पन्न करना होता है।

आतंकवादियों की मांगें अतिपूर्ण एवं पृथकवादी होती हैं जिन्हें आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है परन्तु वे अपनी इच्छाओं को बलपूर्वक और ताकत के सहारे पूरा करना चाहता है। ये समझौते आपसी बातचीत, विचार-विमर्श और तर्कपूर्ण सहमति जैसे शांतिपूर्ण साधनों में कदापि विश्वास नहीं करते।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आतंकवाद का उद्देश्य निर्वाह, निरपराध लोगों की हत्या करके सामान्य जनता में आतंक एवं दहशत फैलाकर, कानूनी और सामाजिक व्यवस्था को तोड़-फोड़ कर प्रशासन तंत्र का असफल कर अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार को विवश करना है। आतंकवाद की गतिविधियों को देखकर यही कहा जा सकता है कि यह एक असामाजिक, असांस्कृति, अनैतिक, अधार्मिक, अमानवीय-असंवैधानिक एवं अवांछित कार्य पद्धति है।

अर्थ या परिभाषा

आतंकवाद की एकल परिभाषा तो संभव नहीं है आतंकवाद की एक समान्य धारणा है कि आतंकवाद हिंसा या हिंसा की धमकी के उपयोग द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष या लड़ाई की एक विधि व रणनीति है अपने शिकार में भय पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि जनसाधारण में इस प्रकार भय व्याप्त हो जाय कि वे इसके विरुद्ध आवाज न उठा सके।

आतंकवाद के पक्षधर इसे क्रांति का नाम देते हैं परन्तु इस बात का जवाब वे खुद नहीं दे पाते कि आखिर इस हिंसात्मक क्रांति द्वारा बेगुनाहों का खून बहाकर वे क्या हासिल करना चाहते हैं इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंसा से न कभी किसी का भला हुआ है, और न किसी का भला हो पायेगा।

आतंकवाद वर्तमान समय में एक विश्वव्यापी समस्या बन चुका है। यदि अलजीरिया और श्रीलंका जैसे छोटे देश इसकी गिरफ्त में हैं तो विश्व की महाशक्ति कहा जाने वाला अमेरिका भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है।

वैश्विक आतंकवाद के प्रसार ने जहां विश्व के अनेक राजनेताओं को अपनी चपेट में ले लिया है, वहीं अनगिनत निर्दोष लोगों को भी मौत की नींद सुला चुका है। वर्तमान में भी अनेक राजनेता और अनेक देशों की जनता कब आतंकवाद की चपेट में आ जाय कुछ निश्चित नहीं है।

भारत में आतंकवाद

“जहां हर कली इन्द्रधनुषी रंगों में निखरती है
जहां हर दिन एकता, सौहार्द और भाईचारे के संगम का त्यौहार है,
उस पावन धरा पर फैला आंतक का ये कैसा जहर है।”

आतंकवाद की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रित देश भारत आज अत्यंत ही कष्टप्रद स्थिति में है। हमारा गणतंत्र ६२ वर्षों का हो गया। कहते हैं लोकतंत्र या गणतंत्र आज जितना पुराना

होता है, उतना ही मजबूत भी होता है, परन्तु भारत के लिए यह बात मखौल प्रतीत होती है। भारत का गणतंत्र “गन के तंत्र” का स्वरूप ले चुका है नेहरू गांधी का यह देश बेगुनाहों के खुन से लाल हो रहा है, शायद ही भारत का ऐसा कोई राज्य हो जहां आतंक के काले बादल न दिखाई दे। आतंकवाद भारत के लोकतांत्रिक अस्तित्व पर एक बड़ा सवरलिया निशान बन गया है।

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में उग्रवाद का जन्म कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की विफलता का परिणाम है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय इसका जन्म देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए हुआ था। इस समय इसका लक्ष्य देश की कई टुकड़ों में बांटकर इसकी एकता और अखण्डता को खण्डित कर कमजोर करता है। हमारे देश के महान नेता इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी आदि इसी आतंकवाद की भेट चढ़ चुके हैं। उल्फा को असम एक अलग सम्प्रभु राज्य के रूप में चाहिए। आतंकवाद की बात करते हुए हम धरती के स्वर्ग कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं। आजादी के साथ ही यहां आतंकवाद की शुरुआत हो गई थी।

प्रकृति की रंग स्थली भारत का चमन और मनमोहक घाटियों के शहर में बारूद की गंध बढ़ती ही चली जा रही है।

जम्मू लिबेरेशन फ्रन्ट, कश्मीर लिबेरेशन आर्मी, हिजबुल मुजाहिदीन आदि संगठन यहां बेगुनाहों के खुन से होली खेल रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है- कश्मीर को अखण्ड भारत से अलग कर एक पृथक राष्ट्र बनाना।

तो दूसरी ओर तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में तमिल टाइगर्स का राज है। ये सभी बर्मों और बंदूक की संस्कृति में विश्वास करते हैं।

आज आतंकवाद के रूप में नक्सली आंदोलन भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। चीनी कम्यूनिस्ट नेता माओत्से तुंग के क्रांतिकारी दर्शन से प्रेरित होकर बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवादी से साठ के दशक में किसान संघर्ष के रूप में नक्सली आंदोलन का जन्म हुआ था। आज यह आंदोलन आतंकवाद के रूप में बंगाल, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में फैलकर अपना आधार मजबूत करने में लगा है। बिहार की रणवीर सेना, भूमिसेना आदि सेनाओं के क्रियाकलाप आतंकवादी दम पर ही निर्भर करते हैं।

आदिवासियों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के प्रतीक झारखण्ड राज्य में सबसे अधिक सक्रिय उग्रवादी संगठन एम०सी०सी० है जिसकी उत्पत्ति सी०पी० आई (एम०एल) से हुई है। इसका वास्तविक विस्तार १६८० के दशक में तब हुआ जब भू-पतियों द्वारा दलितों एवं कमजोर वर्गों का शोषण चरम सीमा पर पहुँच गया था।

पूर्जीवादी समाज के सामने यह दुविधा रहती है कि वह समाजवाद की तरफ जाये या बर्बादी की तरफ। समाजवादी विचारक फ्रेडरिक एंगिल्स का यह चर्चित कथन आज भारत के माओवादी आंदोलन पर हु-ब-हु लागू हो रहा है, समाजवाद के तरफ बढ़ पाने में असमर्थ नक्सलवादी वह कर रहे हैं जो अलकायदा या तालिवान के आतंकवादी करते हैं।

झारखण्ड में पुलिस इंस्पेक्टर प्रांसिस इंद्वार को अगवा करने के बाद उनकी सिर काट कर हत्या किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन पर एक बढ़नुमा दाग है। इसे वे अपनी सांगठनिक क्षमता से कितना भी जोड़े पर इससे वे शहरी समाज में बच्ची खुची सहानुभूति भी खो देंगे। हाल ही में भुवनेश्वर से दिल्ली आ रही राजधानी को करीब सात घंटों तक बंधक बनाकर रेलमंत्री ममता बनर्जी को यह बताना चाहा कि अगर उनकी इस्तेमाल कर उनका साथ छोड़ने का प्रयास करेगी तो उनके रेलवे विभाग को भी बक्षा नहीं जायेगा।

आतंकवाद हमारे समाज में कोढ़ के समान है। उग्रवादियों की हिम्मत जिस प्रकार बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अगर जल्द ही इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर इसका समाधान न ढूँढा गया, तो इसके विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं।

उग्रवाद एवं आतंकवाद के कारण

वास्तव में हमारे देश के वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कानूनी, न्यायिक, प्रणाली और पुलिस प्रशासन व्यवस्था ही ऐसी है। जो आतंकवाद को जन्म देती है। शोषित अथवा पीड़ित पक्ष की तब तक सुनवाई नहीं होती जब तक कि विस्फोट न हो। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का ही परिणाम है कि ऐसे संगठन जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाते हैं कि वे समाज के शत्रु नहीं संघर्ष करनेवाले योद्धा हैं। इससे आतंकवादी शक्तियाँ और बढ़ जाती हैं। युवा वर्ग में बेरोजगारी और असंतोष की भावना। उन्हें आतंकवाद की ओर प्रेरित करती है।

सही रूप से देखा जाये तो आतंकवाद की जड़ का सबसे बड़ा कारण है युवकों की आकंक्षाओं की उपेक्षा। जब यह वर्ग देखता है कि योग्यतानुसार रोजगार पाना असम्भव है और मेहनत मजदूरी करके भी सम्मान पूर्वक आवश्यक सुख सुविधाये जुटाना मुश्किल है किन्तु दूसरी ओर अप्रष्ट तरीके से राजनेता तस्कर आदि मौज कर रहे हैं तो वे असमाजिक गतिविधियों से जुड़ने लगते हैं। विदेशी शक्तियों द्वारा फैलाया गया हथियारों और धन आपूर्ति का जाल इनकी सहायता करता है। यहां तक कि जब एक देश में आतंकवाद सर उठाता है तो दूसरा देश उसकी पीठ थपथपाने लगता है। आज हमारे राज्य कश्मीर के जो हलात हैं वह हमारे पड़ोसियों की ही देन है। लगभग इसी तरह की समस्या से सभी देश जु़म्मे रहे हैं।

समर्थन का आधार

आतंकवाद की सफलता काफी हद तक इसके समर्थन के आधार पर निर्भर करती है, जिसमें केवल राजनैतिक एवं सामाजिक समर्थन ही सम्मिलित नहीं होता अपितु पैसे हथियार और प्रशिक्षण का भी समर्थन होता है। आतंकवादी बैंक डकैतियों, मादक वस्तुओं की तस्करी और क्रय से और बन्धक व्यक्तियों द्वारा अपहरण किये हुये, विमान से फिरोती एकत्रित करके आदि स्त्रोंतो से पैसा प्राप्त करते हैं। हथियारों के लिए ये पुलिस चौकियों को लुटते हैं या विदेशों से हथियार खरीदते हैं। जिस प्रकार पी०एल०ओ० विद्रोही अरब राज्यों, चीन, खस से हथियार प्राप्त करते हैं। भारत में खालिस्तानी आतंकवादी और कश्मीर उग्रवादी प्रशिक्षण और हथियार पड़ोसी देशों से प्राप्त कर रहे हैं।

समाधान

आतंकवाद की समस्या को लेकर सम्पूर्ण विश्व चिंतित है और इस समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन भी बुलाये जाते हैं। परन्तु सिर्फ सम्मेलन बुलाकर विचार-विमर्श करना या चिंता व्यक्त करना इस समस्या का समाधान नहीं है। बस जरूरत है एक ईमानदार पहल की, हिम्मत की, आतंकवाद का उन्मूलन कोई मुश्किल काम नहीं है किसी ने ठीक ही कहा है

“कोई भी काम मुश्किल नहीं
बस खोट न हो ईमान में
छेद फौलाद में भी हो सकता है
अगर इरादे हो इंसान में।”

आतंकवादियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो परिस्थितिवश आतंकवाद से जुड़ा है ऐसे नवयुवकों को सदभावना और सहनशीलता के साथ समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। शासन द्वारा आतंकवादियों से वार्ता की जानी चाहिये। विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना चाहिये।

शिक्षा मनुष्य में शिवत्व और विनाश दोनों ही प्रवृत्तियों को जन्म दे सकती है। आतंकवादी केवल अशिक्षित या पिछड़े वर्ग के युवा ही नहीं बनने बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर यहां तक की वैज्ञानिक भी आज इस राह पर चल पड़े हैं, इसलिए आवश्यक है कि नैतिक शिक्षा की व्यवस्था द्वारा सामाजिक जीवन में नैविक मूल्यों की प्रतिष्ठा की जाये। भ्रष्टाचार का उन्मूलन एवं नियंत्रण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि आतंकवाद के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही को व्यवहार में लाया

जाये, नाकि सरकारी फाईलो में कैद करके रख दिया जाये। सार्थक प्रयासों द्वारा इस समस्या का हल किया जा सकता है।

आतंकवाद इतनी गंभीर समस्या है कि उसे अकेले सरकार या राजनीतिज्ञों पर नहीं छोड़ा जा सकता।

जनता में सार्वजनिक जागरूकता एवं व्यक्तियों पर दबाव ही इसका एकमात्र हल है, एक बात तो सबको समझनी चाहिये।

जो आतंकवादी धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं, उनका स्वयं कोई धर्म नहीं होता क्योंकि अगर वे किसी भी धर्म को मानते तो इस कदर वहशी नहीं होते। धर्म प्यार करना सीखाता है न कि निर्दोषों का खुन बहाना।

साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि आतंकवाद उस बीमारी की तरह है जो समय से जाती है और इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है।